Committee to review quality of Text Books

595. SHRI AJIT P.K. JOGI : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up Review Committees/ Boards to review the quality of textbooks;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have issued any directions to the State Governments in this regard; and

(d) if so, the details of the guidelines issued regarding the composition, terms and functions of the Committee?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE)(KUMARI SELJA) : (a) and (b) A National Steering Committee was set up by this Ministry in June 1991 to review school textbooks from the standpoint of national integration. The Committee, in its meeting held on 30-31 January '93 recommended, inter-alia, that State Boards should be set up for the preparation and authorisation of textbooks to be used in all schools.

(c) No directions have been issued to the State Governments in this regard. However, the Committee's recommendations were forwarded to the State Governments for their consideration.

(d) Does not arise in view of the answer given to part (c) of the question.

महिलाओं हेतु अल्पकालीन आवास गृहों के निर्माण के संबंध में सहायता

596. श्री अजीत जोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं और लड़कियों के लिये अल्पकालीन गृहों के निर्माण और उन्हें चलाये जाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं को सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन अभिकरणों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासव राजेश्वरी) : (क) भारत सरकार महिलाओं और लड़कियों के लिये अल्पावास गृहों की एक स्कीम का संचालन कर रही है, जिसके अन्तर्गत सस्वीकृत प्रत्येक गृह को भवन के रख-रखाव, चिकित्सा-सुविधाओं, किराये आदि के लिये 1,87, 300रू० तक का आवर्ती अनुदान तथा 25,000/– रू0 का अनावर्ती अनुदान दिया जाता है । भवन के निर्माण के लिये कोई अनुदान नहीं दिया जाता ।

(ख) इस स्कीम का उद्देश्य उन महिलाओं और लड़कियों का पुनर्वास और उन्हें संरक्षण प्रदान करना है, जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार, शोषण अथवा अन्य कारणों से सामाजिक और नैतिक खतरों का सामना कर रही हो ।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

1992–93 : 45 नये गृह सस्वीकृत किये गये जिससे देश में अल्पावास गृहों की संख्या 177 से बढ़कर 222 हो गई, जिनमें 6660 लोग लाभांवित